सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय
पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड नं. 3, भोपाल – 462016
ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्र./VC/I/1057618/2026 दिनांक : 02-06-2026

प्रति,

समस्त संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :- दिनांक 29/05/2026 को आयोजित वी.सी. के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

--00--

दिनांक 29/05/2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में समीक्षा की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय तथा जिलों के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित निर्देश दिए गए :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिलों को आवंटित बजट/निराश्रित निधि के उपयोग की समीक्षा :-

- जिलों को प्रत्येक मद वार प्राप्त बजट से व्यय करने को प्राथमिकता देना सुनिश्चित किया जाए।
- निराश्रित निधि में सर्वप्रथम जिले की ब्याज राशि जिले स्तर से ही व्यय किया जाए तथा ब्याज राशि समाप्त होने पर ही मूल धन से संचालनालय को भुगतान हेतु प्रेषित किया जाए।

विभिन्न पोर्टल यथा पेंशन, स्पर्श, विवाह एवं UDID पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा :-

- सर्व प्रथम विभाग के विभिन्न पोर्टल यथा पेंशन, स्पर्श, विवाह एवं UDID पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई।
- मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के 41 प्रकरण एवं 2025-26 के 25 आवेदन निर्णय हेतु लंबित है। जिला जबलपुर के सहायक संचालक द्वारा उक्त लंबित प्रकरणों के संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, जिला जबलपुर में 23 प्रकरण कल्याणी विवाह के भी लंबित प्रदर्शित हो रहे है साथ ही UDID Portal भी 5,252 आवेदन लंबित है। उक्त वस्तु स्थिति पर आयुक्त महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये संबंधित जिला अधिकारी के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
- पेंशन पोर्टल पर 15 दिवस से अधिक समय तक लंबित प्रकरणों की संख्या 13,487 है, सर्वाधिक प्रकरण जिला भोपाल में 3,128 प्रकरण लंबित है। इसी प्रकार 497 स्वीकृत प्रकरण DSC हेतु लंबित है, जिन पर भी संबंधित द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त संबंध में संयुक्त संचालक, भोपाल को निर्देशित किया गया कि वे उक्त प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण नहीं करने पर संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही कर संचालनालय को अवगत कराये, लापरवाही एवं विलंब के लिये उत्तरदायी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही नहीं करने पर संयुक्त संचालक, भोपाल के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।
- इसी प्रकार जिला सागर एवं छतरपुर में भी मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री कल्याणी योजना के आवेदन लंबित है।

- उपरोक्तानुसार प्रकरणों की समीक्षा उपरांत समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि :-
    - समस्त जिला अधिकारियों को अवगत कराया गया कि विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही की जायेगी।
    - अत: समस्त जिला अधिकारी प्रतिदिन विभाग के विभिन्न पोर्टलों पर लॉगईन कर, उपलब्ध रिपोर्ट की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। यदि स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्व कार्यवाही की जाये, अन्यथा प्रगति नहीं आने पर जिला अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
    - कल्याणी विवाह के प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया है कि जिला अधिकारियों द्वारा कल्याणी विवाह के प्रकरणों को स्वीकृत करने के उपरांत eSign नहीं किये जा रहे है साथ ही भुगतान की जानकारी दर्ज नहीं की जा रही है।
    - कन्या विवाह/ निकाह योजना अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो आयोजन में उपस्थित हुये थे, उनको प्रदाय लाभ की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं की जा रही है, समस्त अधिकारी लाभ की जानकारी दर्ज करना सुनिश्चित करें।
    - मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर स्वीकृति की कार्यवाही करें व पात्रतानुसार सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
    - संचालनालय अथवा शासन स्तर पर प्रेषित प्रस्तावों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिये संबंधित योजना प्रभारी अधिकारी संचालनालय से निरंतर समन्वय बनाये रखें। प्रकरण में अधिक विलंब होने पर संचालनालय एवं जिला अधिकारी दोनों के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
    - आगामी वी.सी. से पूर्व प्रगति नहीं आने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
    - संचालनालय के योजना प्रभारी अधिकारी अपने एजेण्डे संबंधित पूर्ण जानकारी लेकर वी .सी. में उपस्थित रहें। आवश्यकता होने पर संबंधित लिपिक को भी वी.सी. में उपिस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।

पेंशन हितग्राहियों को माह मार्च 2026 में हुये असफल भुगतान की समीक्षा :-

- माह मार्च 2026 के असफल भुगतान की समीक्षा की गई। विगत 6 माह एवं 12 माह में सतत् हो रहे असफल भुगतान की समीक्षा जिलों एवं निकायों के अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है।
- समस्त जिला एवं निकाय के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रतिमाह असफल भुगतान की रिपोर्ट पोर्टल से प्राप्त कर समीक्षा करें व हितग्राही एवं बैंक से समन्वय कर निराकरण कराये।
- मृत, अपात्र एवं पलायन कर चुके पेंशन हितग्राहियों के खातों में जमा राशि को बैंक शाखा स्तर से होल्ड कर पेंशन राशि को शासन के खाते अथवा बैंक खाते में जमा कराया जाए। अनुभाग प्रभारी द्वारा उक्त संबंध में जिलों को दिशा-निर्देश जारी किये जाये।

शासकीय / अशासकीय संस्थाओं / डीडीआरसी के अनुदान प्रस्ताव एवं मोबाइल एप्प से किए गए निरीक्षण की समीक्षा :-

- शासन के निर्देशानुसार डीडीआरसी, किसी भी विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्था को अनुदान हेतु विभागीय पोर्टल पर Onboard किया जाना आवश्यक है।
- जिला स्तर पर 166 अशासकीय संस्थाओं के आवेदन निर्णय हेतु लंबित है। उक्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित की जाये।

- अनुदान अथवा मानदेय हेतु आवेदन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन किया जाना है , माह अप्रैल 2026 में केवल 36 डीडीआरसी/ अशासकीय संस्थाओं द्वारा अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन का परीक्षण कर निराकरण की कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित की जाये।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम त्रैमास (अप्रैल 2026 से जून 2026) तक समस्त डीडीआरसी, शासकीय विशेष विद्यालय एवं विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण एवं Quality Audit मोबाइल एप्प के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये। निरीक्षण संवेदनशीलता के साथ किया जाये।

ई-ऑफिस के क्रियान्वयन, सार्थक एप्प पर उपस्थिति एवं HRMS पोर्टल पर समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को ऑनबोर्ड किए जाने की समीक्षा :-

- **ई-ऑफिस का क्रियान्वयन**
    - संचालनालय पत्राचार केवल ई-ऑफिस के माध्यम से e-Sign / DSC Sign पत्रों को संचालनालय के CRU को ही प्रेषित किया जाये, पृथक से संचालनालय को ई-मेल नहीं किया जाये।
    - ई-ऑफिस पर e-Sign पत्र को Dispatch करते समय Intra e-Office का चयन कर DIRECTORATE OF SOCIAL JUSTICE AND DISABLED WELFARE का चयन कर CRU Users को चेक करें, तद्उपरांत संचालनालय के CRU Shri Bhagwan Das Raikwar, Assistant Grade-3, Section : Inward and Outward को पत्र Dispatch करना सुनिश्चित करें।
    - समस्त जिला अधिकारी शत-प्रतिशत ई-ऑफिस का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। संचालनालय कोई भी पत्र ई-ऑफिस के माध्यम से ई-साईन होने के उपरांत ही प्रेषित किया जाये।
    - निराश्रित निधि ई-पेमेंट एवं प्रबंधन प्रणाली पर बनाये गये ई.पी.ओ. पर जिला कलेक्टर एवं जिला अधिकारी के संयुक्त eSign ई-ऑफिस पर सुनिश्चित किये जाये।
- **सार्थक एप्प पर उपस्थिति**
    - सार्थक एप्प पर अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है , उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
    - समस्त अधिकारी / कर्मचारी पदस्थापना कार्यालय से समय पर सार्थक एप्प पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें, जिला अधिकारी जिला एवं निकाय के अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।
    -
- **HRMS पोर्टल पर समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को ऑनबोर्ड**
    - HRMS पोर्टल पर समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को onboard कराना सुनिश्चित करें।
    - 24 जिलों में 64 अधिकारियों / कर्मचारियों की जानकारी HRMS पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना शेष है।
    - अवकाश हेतु आवेदन HRMS पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित किया जाये।

Digitally signed by
Suchita Tirkey Beck
Date: 02-06-2026
11:31:21

कार्यालय प्रमुख
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल
(म.प्र.)

क्र./VC/2026/ दिनांक :

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
2. निज सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश – सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सूचनार्थ।
5. समस्त अनुभाग प्रभारी, संचालनालय – सूचनार्थ।
6. समस्त जिला समन्वयक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी – सूचनार्थ।
7. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/समन्वयक – सूचनार्थ।
8. समस्त समग्र संयोजक – सूचनार्थ।

कार्यालय प्रमुख
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)